

न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

१९१३/-

प्रकरण क्रमांक

/07 निगरानी

R 1641-I/07

जगदीश चन्द्र तनय स्व0 रामलाल अग्रवाल निवासी पुरानी
गल्ला मण्डी, हरिहर रोड हरपालपुर तहसील नौगांव जिला
छतरपुर म0प्र0

—आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

—अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 6/9/2007 पारित
न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग सागर म0प्र0 के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक
267/अ-5/2006-2007 के।

माननीय महोदय,



आवेदक निम्न तथ्या एवं आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करना है :-

- 1- यहकि, आवेदक के द्वारा कलेक्टर महोदय छतरपुर के समक्ष इस आशय का एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था कि भूमि खसरा नं. पुराना 4263 रकवा 0.174 हैक्टर स्थित मौजा सरसेड तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र की भूमि रामलाल, मदनगोपाल, पुत्रगण श्री किशोरीलाल अग्रवाल निवासी हरपालपुर के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है, लेकिन बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि को नये खसरा नम्बर 4960 रकवा 20.39 हैक्टर म0प्र0 शासन आबादी में अन्य भूमियों के साथ सम्मिलित कर दिया गया है, इस प्रकार पुराने रकवा 0.174 हैक्टर के खसरा नम्बर 4263 का रामलाल, मदनगोपाल का पुत्रगण श्री किशोरीलाल अग्रवाल का स्वामित्व बिना किसी आधार के नये अभिलेख में समाप्त कर दिया गया है, जो न्यायहित में राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर उक्त भूमि नये खसरा नं. 4263 में से 0.174 हैक्टर रकवा पूर्ववत् भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित कराया जावे।
- 2- यहकि, अपीलान्ट का उक्त आवेदन-पत्र कार्यालय कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर म0प्र0 (शिकायत निर्धारण प्रकोष्ठ) के पत्र क्रमांक 38/2005 छतरपुर दिनांक 12/08/2005 के साथ अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नौगांव को इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि आवेदन-पत्र का परीक्षण कर विधि संगत कार्यवाही करें एवं प्रतिवेदन भेजे अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र के साथ खसरा वर्ष 1992-93 की खसरा की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति, खसरा वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 एवं 1988-89 लगायत 1992-93 तक की छायाप्रति भी साथ में भेजी थी।
- 3- यहकि, तहसीलदार महोदय नौगांव ने प्रकरण को दर्ज करे हल्का पटवारी से उक्त भूमि खसरा नम्बर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1641-एक/07

जिला - छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिनाषकों आदि हस्ताक्षर
<p>4.2.14 समय दोपहर 12.00 बजे समय दोपहर 3.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री जगदीश चन्द्र श्री रामलाल अग्रवाल निवासी पुरानी गल्ला मण्डी हरीहर रोड हरपालपुर तहसील नौगाव जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री जगदीश चन्द्र श्री रामलाल अग्रवाल निवासी पुरानी गल्ला मण्डी हरीहर रोड हरपालपुर तहसील नौगाव जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p>	<p> सदस्य</p>
<p>शाम 5.00 बजे</p>	<p>प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री जगदीश चन्द्र श्री रामलाल अग्रवाल निवासी पुरानी गल्ला मण्डी हरीहर रोड हरपालपुर तहसील नौगाव जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	<p> (अशोक शिवहरे) सदस्य</p>